

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा० त्रिलोकी शर्मा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर को 300(तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005, महालेखाकार बिहार, पटना के पत्रांक LR: 221120240200939 के आलोक में डा० त्रिलोकी शर्मा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर को 300(तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

2 उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० त्रिलोकी शर्मा से की जाएगी ।

3. डा० त्रिलोकी शर्मा की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.10.2024 है ।

4. अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापक.

27-13)

/स्वा०, पटना, दिनांक

17/01/25

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० त्रिलोकी शर्मा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर, पत्राचार का पता-शान्ति नगर, डाकघर-डुमरा, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843302, मो० नं० 7677735577 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-27,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव